फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

शिवचरण बनाम देवीसहाय वगै0

किस्म मुकदमा– दावा तकास्मा एवं स्थायी निषे0 मु0नं0– 244A/2022

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.02.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली में तहसीलदार सिकराय द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना में कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर तहसील कार्यालय के पत्रांक भू0अ0/2023/2438 दिनांक 18.12.2023 द्वारा भिजवाई गई है जो शामिल पत्रावली की गई। बहस कुर्रेजात प्रस्ताव सुनी गई। बहस कुर्रेजात प्रस्ताव एवं पत्रावली तथा कुर्रेजात प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिक्री जारी करने का निवेदन किया गया। कुर्रेजात प्रस्ताव के अवलोकन से कुर्रेजात प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार सिकराय द्वारा पेश कुर्रेजात प्रस्ताव स्वीकार कर दावा वादी मुताबिक कुर्रेजात प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेंगे। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी हो। तहसीलदार सिकराय निर्णय अनुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 21.02.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	